न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 38/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. हडमानराम पुत्र पन्नाराम 2. जयराम पुत्र पन्नाराम 3. ओमाराम पुत्र पन्नाराम 4. थानाराम पुत्र पन्नाराम 5. भगवानाराम पुत्र पन्नाराम 6. ठाकराराम पुत्र पन्नाराम 7. पप्पाराम पुत्र पन्नाराम 8. मांगीदेवी पत्नी पन्नाराम 9. करनाराम पुत्र चुतराराम 10. गंगादेवी पत्नी चुतराराम सभी जातियान– जाट धायलं निवासी– गंगाणा तहसील लूणी, जोधपुर।		1. श्रीमती निर्मला सोनी पत्नी ओमप्रकाश सोनी निवासी–113, पी0डबलू0डी0 कॉलोनी, रिक्तिया भैरूजी मन्दिर के पास, जोधपुर। 2. तहसीलदार, लूणी, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्व निर्णय दिनांक 21.01.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी जो राजस्व आवेदन संख्या 157/2019 अनवान श्रीमती निर्मला सोनी बनाम सरकार में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, श्री अशोक पुनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री एम0एस0 राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर *

निर्णय

दिनांक 10 फरवरी, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीया के खसरा नंबर 423 रकबा 21 बीघा एवं ख0सं0 421 रकबा 13 बिस्वा कुल 21 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम बुझावड पटवार मण्डल डोली तहसील लूणी में आई हुई है जिनकी नेखमबन्दी करवाने हेतु निवेदन किया गया जिसमें उक्त भूमि के चारो तरफ के पडौसी जमाबन्दी के अनुसार दर्ज खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही तथा केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 तहसीलदार लूणी को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत कर दिया एवं बिना मौका जॉच किये ही अपने आदेश दिनांक 21.01.2020 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वर्णित भूमि की नेखमबन्दी किये जाने का आदेश तहसीलदार लूणी को दे दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जबकि वे अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान भूमि के पडौसी ख0सं0 422 के दर्ज

अ

पीडित/प्रभावित पक्षकार है एवं अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता के द्वारा अपील प्रस्तुत करने बाबत अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में किये गये कथनों के आधार अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने यह कथन किया कि प्रार्थीनी ने उक्त भूमि खातेदार विमलकांता पत्नी प्रेमकिशोर अग्रवाल से रजिस्टर्ड खरीद की जिस पर नामा0 संख्या 594 दिनांक 28.5.18 को दर्ज होकर उनको खातेदार दर्ज किया गया। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के पास ही पाडोस में अन्य खातेदारान की भूमि आई हुई है जिसकी पैमाइश के लिये तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया तब पटवारी हल्का डोली, बोरानाडा, सालावास, झंवर मय पुलिस जाब्ता की टीम गठित कर खातेदारान व मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 14.11.19 को ख0सं0 421, 422, 423 का सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु राजस्व ट्रेस नक्शा में अंकन नहीं किये जाने व न ही सीमांकन अनुसार भूमि के बीच में कोई सीमाचिन्ह व पक्की माठ की गई है जिसके कारण पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद की सम्भावना बन सकती है अतः प्रार्थना पत्र पेश करते हुए पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र में मात्र तहसीलदार को ही आवश्यक पक्षकार बनाया गया अन्य किसी पडौसी खातेदार/काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया गया जो चलने योग्य नहीं था, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी आवश्यक काश्तकारान को पक्षकार बनाये बिना ही, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा गैरकानूनी कार्यवाही करते हुए जल्दबाजी में बिना जॉच करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है क्योंकि अपीलार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज दर्ज खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड व नक्शे में दर्ज है जिसके चारों तरफ पुरानी तारबन्दी की हुई है तथा फसल बोई जा रही है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा पडौसी खातेदारान से विवाद होने की स्थिति में नेखमबन्दी करने हेतु निवेदन किया था ऐसे में राजस्व अधिकारियों व अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे मौके पर खेतों की माठ व सीमाचिन्ह आदि की सभी पक्षों की मौजूदगी में मौका जॉच करवाते, जिससे मामले में पेचिदगिया नहीं बनती। रेस्पो0 संख्या एक की ओर से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उक्त प्रार्थना पत्र के तहत गठित टीम के द्वारा खातेदारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाने का गलत तथ्य का अंकन किया गया है क्योंकि किसी पडौसी खातेदारान/काश्तकारान को नोटिस नहीं दिया गया और बाले–बाले कार्यालय में ही बैठकर मौका रिपोर्ट तैयार बना ली गई जो प्रारम्भ से ही शून्य व निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार को भूमापक आयुक्त बनाकर नेखमबन्दी का एकतरफा आदेश पारित किया है जिसमें नेखमबन्दी का कार्य अपने किसी अधीनस्थ से करवा लेने की कोई छूट नहीं है फिर भी तहसीलदार ने स्वयं जाकर सीमाज्ञान नहीं करवाया और उपतहसीलदार झंवर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

को दिनांक 22.1.2020 को गैरकानूनी आदेश दे दिया जो निरस्त करने योग्य है। उप तहसीलदार झंवर ने भी दिनांक 28.1.20 को नेखमबन्दी की टीम गठित करने का आदेश पारित कर बिना कोई पैमाइश सीमाज्ञान के अपीलान्टस के खेत की पुरानी तारबन्दी को जेसीबी मशीन लाकर तोड व फसल को भी नुकसान पहुंचाया जबकि तारबन्दी हटाने का कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया था। उपतहसीलदार की उक्त कार्यवाही के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अलग से एक अपील अति0 जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो विचाराधीन चल रही है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी लूणी के गैरकानूनी अपीलाधीन आदेश एवं आधार पर की गई तमाम पालना कार्यवाही विधि व न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.1.20 निरस्त किया जावे व उसकी पालना में तहसीलदार लूणी द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.1.20 को निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं. 01 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ग्राम बुझावड , तहसील जोधपुर के ख0सं0 423 में रकबा 21 बीघा भूमि, ख0सं0 421 रकबा 13 बिस्वा कुल रकबा 21.13 बिस्वा भूमि आई हुई जो प्रार्थीया ने पूर्व खातेदार विमलकांता पत्नी प्रेमकिशोर अग्रवाल से रजिस्टर्ड खरीद की जिस पर नामा0 संख्या 594 दिनांक 28.5.18 को दर्ज होकर उनका नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज किया गया। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के पास ही पडौस में अन्य खातेदारान/काश्तकारान की भूमि आई हुई है। प्रार्थीनी के खरीद की गई भूमि में पडौसी खातेदारों के साथ में किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो एवं किसी प्रकार की गलतफहमी न हो, इसी के मध्येनजर भूमि की पैमाइश के लिये तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया तब तहसीलदार महोदय के द्वारा पटवारी हल्का डोली, बोरानाडा, सालावास, झंवर मय पुलिस जाब्ता की टीम गठित कर खातेदारान व मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 14.11.19 को ख0 सं0 421, 422, 423 का सीमाज्ञान करवाया गया।

रेस्पो0 सं. 01 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त सीमाज्ञान अनुसार राजस्व ट्रेस नक्शा में अंकन नहीं किये जाने व न ही सीमांकन अनुसार भूमि के बीच में कोई सीमाचिन्ह व पक्की माठ की गई है जिसके कारण पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद की सम्भावना बन सकती हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए उक्त वर्णित खसरान भूमि की सीमाज्ञान ट्रेस नक्शा में अंकन करवाने एवं उस अनुसार पत्थरगढी/नेखमबन्दी हेतु निवेदन किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को दर्ज करते हुए रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता एवं तहसीलदार लूणी राजकीय पैरोकार की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 14.11.2019 की मौका रिपोर्ट के अनुसार उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2020 को पारित किया गया है जो विधी अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 की पालना में उपतहसीलदार, झंवर के कार्यालय आदेश दिनांक 28.1.2020 के द्वारा राजस्व कार्मिकों की टीम गठित की गई। उक्त गठित टीम के द्वारा दिनांक 14.02.2020 को मौके पर जाकर उपस्थित पक्षकारान /काश्तकारान के समक्ष वर्णित खसरान भूमि की पत्थरगढी की जा चुकी है। उक्त पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पडौसी खसरा संख्या 422 के खातेदारान यानि वर्तमान अपीलान्टस ने उपस्थित रहते हुए भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। ऐसे में अपीलान्टस उक्त अपील के जरिये अपीलाधीन आदेश को चुनौती प्रस्तुत करने हेतु स्वच्छ हाथों से नहीं आये है और न ही उन्हें अपीलाधीन आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार है। अपीलान्टस की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अपीलान्टस द्वारा अपीलाधीन आदेश पर स्थगन चाहा गया जो भी न्यायालय हाजा द्वारा नहीं दिया गया, ऐसे में अपीलाधीन आदेश को न्यायालय हाजा ने उचित माना था। इन आधार पर अपीलान्टस की अपील पूर्व से ही सारहीन व आधारहीन हो चुकी है।

रेस्पो0 सं. 01 के अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा वादग्रस्त भूमि की सीमांकन की कार्यवाही को किसी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है। अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व कार्मिकों की टीम गठित करने बाबत जारी आदेश को अति0 जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष चुनौती दी गई जिसे अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया। अपीलान्टस के द्वारा मुझ रेस्पो0 संख्या एक को बेवजह परेशान व हैरान करने की मंशा से तथा वाद– विवाद बढाने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की गई है जो अस्वीकार करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पो0 संख्या एक की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी/ नेखमबन्दी करने का जो आदेश दिया है जो विधि अनुकूल व न्यायोचित है जिसे बहाल रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील अरवीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि रेस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में मात्र तहसीलदार को ही पक्षकार बनाया है जबकि खसरा संख्या 422 के खातेदार प्रभावित पक्षकार व हितबद्ध काश्तकार है जिनकों न तो पक्षकार बनाया है व न ही विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। सीमांकन की कार्यवाही विवरण में पुख्ता बिन्दुओं का विवरण व पुख्ता बिन्दुओं से नाप भी अंकित नहीं है। एकपक्षीय सीमांकन की कार्यवाही व तत्पश्चात एकतरफा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के जरिये पडौसी खातेदारान की भूमि में कब्जा किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के साथ–साथ राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2020

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बहाल रखे जाने योग्य परिलक्षित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2020 को निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्टस नये सिरे से सक्षम न्यायालय में विधिवत सीमांकन/पत्थरगढी सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 10 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर